"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2006—आषाढ़ 9, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर जिला सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम. डी. दीवान, रा.प्र.से. व. श्रे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त कलेक्टर, अंबिकापुर जिला सरगुजा पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2006

क्रमांक ई 1-4/2004/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2005-एआईएस (I)-बी. दिनांक 3-5-2006 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	भा.प्र.से. के संवर्गीय पद पर वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जूसुफ मिंज	3-5-2006	उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
2.	श्री एम. एस. परस्ते	3-5-2006	अपर कलेक्टर, बस्तर
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल	3-5-2006	अपर कलेक्टर, रायपुर
4.	सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो	3-5-2006	उप संचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं अतिरिक्त रूप से संचालक, अंत्यवसायी वित्त एवं विकास निगम.
5.	श्री जेवियर तिग्गा	3-5-2006	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	3-5-2006	संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर
7.	श्री नवल सिंह मण्डावी	3-5-2006	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा
8.	श्री देवी दयाल सिंह	3-5-2006	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव
9.	श्री एस. एल. रात्रे	3-5-2006	अपर कलेक्टर, रायगढ़
10.	श्री एस. पी. शोरी	3-5-2006	उप सचिव, गृह विभाग
11.	श्री एस. आर. ब्रम्हाणे	3-5-2006	उप सचिव, राजस्व विभाग

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल को भा. प्र. से. में नियुक्ति के दिनांक 3-5-2006 से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत राज्य शासन, संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से. केवल प्रबंध संचालक, अंत्यवसायी वित्त एवं विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-4/2004/1/2, दिनांक 6-6-2006 द्वारा श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से. को प्रबंधक संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के प्रभार से मुक्त करते हुए, सुश्री ओमेगा यूनाईस टोप्पो, भा. प्र. से. को प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी विकास निगम का अतिरिक्त रूप से प्रभार सौंपा गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-5-2006 द्वारा श्री बी. एल. ठाकुर, को प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जो यथावत् रहेगा.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), सचिव-सह-आयुक्त, जनसंपर्क विभाग एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को केवल सचिव-सह-आयुक्त जनसंपर्क विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) प्रबंध संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992) कलेक्टर, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) एवं संचालक, जनसंपर्क के पद पर पदस्थ किया जाता है, तथा साथ-साथ संचालक, महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

4. श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994) प्रबंध संचालक, भंडार गृह निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित को उनके वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से. (1994) कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-5-2006 द्वारा श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005) (परिवीक्षाधीन) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये सहायक कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य में प्रशिक्षण के लिये श्री रजत कुमार (भा.प्र.से.) (2005) (परिवीक्षाधीन) को सहायक कलेक्टर, जिला कबीरधाम (कवर्धा) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से., संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 12-6-2006 से 27-6-2006 (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11-6-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11, 17 एवं 18-6-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रे, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रे, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बी. के. एस. रे के उक्त अवकाश अवधि में श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ गृह, जेल, परिवहन एवं विमानन विभाग का कार्य संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक ई-7/48/2004/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक (5 दिवस) एवं 23-6-2006 से 26-6-2006 (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11-6-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री द्विवेदी के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य श्री पी. सी. प्रसाद, अपर कलेक्टर, बिलासपुर संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक ई-7/1/2006/1/2.—श्री अशोक अग्रवाल, भा.प्र.से., संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ. ग., रायपुर को दिनांक 19-6-2006 से 11-7-2006 (23 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18-6-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक ई-7/32/2004/1/2.—श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 1-7-2006 (22 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11-6-2006 एवं 2-7-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बिहारी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बिहारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बिहारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक ई-7/38/2004/1/2.—श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, उच्च शिक्षा एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 26-6-2006 से 1-7-2006 (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2-7-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सूर्यवंशी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, उच्च शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सूर्यवंशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूर्यवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 3-6-2006 से 9-6-2006 तक (7 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 623/655/06/1-7.—श्री दयाराम दयाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जशपुर की सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 25-5-2006 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, अत: श्री दयाल को छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में उप सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 629/655/06/1-7.—श्री यू. एस. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अंबिकापुर की सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 25-5-2006 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, अत: श्री मिश्रा को छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में विधि अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, उप-सचिव.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
DEPARTMENT OF FINANCE
Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

No. L-19/1/B-4/03/IV/323 Dated 5-6-2006

Revised Model Scheme for Constitution and Administration of the Consolidated Sinking fund of Government of Chhattisgarh

Title of the Scheme. 1. The Scheme shall be called "Consolidated Sinking Fund Scheme" (hereinafter referred to as "the Fund") of the Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as "the Government").

Constitution of the Fund 2. The Fund will be constituted by the Government of Chhattisgarh for redeeming its outstanding liabilities.

Objective of the Scheme. 3. The Fund is to be utilized as an Amortisation Fund for redemption of the outstanding liabilities of the Government commencing from the financial year 2011-12.

Commencement of the Operation of the Scheme. 4. The Fund shall come into force with effect from the financial year 2006-07.

Explanation

(a) The Fund shall substitute the extant CSF scheme adopted by the Government.

(b) The outstanding balances of the extant CSF Scheme as at end-March 2006 shall be transferred to the Fund.

(c) The interest accrued and accumulated in the Fund only shall be utilised towards the redemption of the outstanding liabilities of the Government as hereinafter provided.

(d) The Fund shall not be utilised for any purpose other than redemption of the outstanding liabilities of the Government.

Provided that the net incremental annual investment of States (i.e. outstanding balance over and above the level in the corresponding period of the previous year) shall be eligible for availing Special WMA such that the availment of Special WMA under this provision does not exceed the Normal WMA limit.

(e) The outstanding liabilities are defined to comprise of internal debt and public account liabilities of the Government.

Contributions to the Fund. 5. The Government may contribute to the Fund on a modest scale of at least 0.5 percent of the outstanding liabilites as at the end of the previous year beginning with the financial year 2006-07. The Government shall make efforts to raise the minimum contribution every year. There is no ceiling on such contributions to the Fund in terms of number of times of making contributions in a year. It is open to the Government to invest in the Fund from the General Revenue at any time or from other sources such as disinvestments proceeds to the Fund, at its discretion. The Government shall not fund its contribution to the Fund out of borrowings from the Reserve Bank.

Relationship of The Fund with General Revenue. 6. The corpus of the Fund comprising the periodic contributions as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside the General Revenue for the Government. The Fund shall be utilised in the manner prescribed in this Scheme.

Administration of The Fund. 7. The Fund shall be administered by Central Accounts Section of the Reserve Bank of India at Nagpur (hereinafter referred to as the Bank), subject to such directions/instructions as the Government may issue from time to time.

Investment of the Corpus of the Fund. 8. The accretions to the Fund shall be invested in Government of India Securities. of such maturities as the Bank may determine from time to time in consultation with the Government.

Explanation

(a) The accretions to the Fund shall include the periodic contributions and the income accruing to the Fund from investment thereof.

(b) The Bank will make available the securities for investment either from its own investment portfolio or by acquiring the securities from the secondary market, without loading any charge other than that indicated in paragraph 10.

transactions. tained with it as per the advice of the Government.

(b) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government of India Securities as indicated in paragraph 8 in multiples of Rs. 10,000/-.

(c) The periodic accretion to the Fund by way of interest income shall be reinvested by the Bank in a similar manner, in multiples of Rs. 10,000/-.

(d) The investments held in the Fund and maturing during currency of the scheme shall be reinvested in accordance with paragraph 8.

(e) No withdrawals will be allowed from the Fund until 2010-2011.

Provided that States that have already set up the Fund under the earlier scheme may withdraw an amount in a year after the lock-in period stipulated in the earlier scheme. The amount shall not exceed the amount of redemption due for the year in respect of open market borrowings.

Explanation

(a) Withdrawals may be allowed in the financial year 2011-12 from out of the interest income accrued and accumulated in the Fund up to the financial year 2010-11 towards the redemption of the outstanding liabilities of the Government as per its directions. Similarly, withdrawals may be allowed in the financial year 2012-13 from out of the interest income accrued and accumulated in the Fund up to the financial year 2011-2012 towards the redemption of the outstanding liabilities of the Government as per its directions and so on.

(b) The contribution forming the corpus of the Fund shall remain intact, until substantial amount is built up. A review thereof may be taken at an appropriate period from 2011-2012.

(c) The debit to Government on account of the periodic instalments will be accounted under the major head 8222 (Reserve Funds). On the maturity of the loan, the balance outstanding under the head 8222 (sub-head Sinking Fund) is credited to the head 8660 (Miscellaneous Government Account) Ledger Balance Adjustment Account.

(d) The Bank shall scroll to the Government the debit on account of investment less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions, these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(e) The Bank shall arrange to collect interest on the investments and credit the same to the Fund on the due dates.

(f) On the maturity of the securities, the Bank shall arrange to redeem the securities. In case of premature disinvestments to meet the liability on account of the claims to be paid, the Bank will decide on the securities to be encashed in consultation with the Government and sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Fund. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(g) The provision for expenditure on account of the periodic contributions shall be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be withdrawn from the Fund by the disposal for the investment.

(h) The Bank shall open a Current Account and Subsidiary General Ledger Account in the made of the Fund and furnish to the Government as at the end of September and March each year, a statement showing the details of investment.

Service charges for administration of the Fund. 10. The Government shall pay to the Bank a commission at the rate of 1/8 of one percent on the turnover of the Fund or at the rate to be matually decided from time to time.

Account and Audit. 11. The accounts of the Fund and the investments shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary accounts in such manner and details as may be considered by the Government in consultation with the Accountant General.

Savings. 12. The Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the scheme. In case of any dificulty in the operation of any provision of Scheme, the Government may, if satisfied, relax the provisions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Secretary.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2006

क्रमांक 1129/1393/2006/वाकर/पांच.—श्री डी. सी. पाण्डेय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 26-5-2006 से दिनांक 2-6-2006 तक (8) दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डेय, आगामी आदेश तक महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक 4986/डी-1255/21-ब/छ. ग./06.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 274/दो-2-17/2001 (भाग-दो)/गोपनीय/2006, दिनांक.11 मई, 2006 के अनुपालन में श्री यू. एस. मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, अंबिकापुर की सेवाएं छ. ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर में उप-सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2006

क्रमांक 4988/डी-1255/21-ब/छ. ग./06.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 274/दो-2-17/2001 (भाग-दो)/गोपनीय/2006, दिनांक 11 मई, 2006 के अनुपालन में श्री दयाराम दयाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जशपुर की सेवाएं छ. ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर में उप-सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

फा. क्र. 9120/डी-967/21-ब/छ. ग./06.—भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 895/डी-233/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-01-06 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में वर्णित क्षेत्रों के लिए अनुसूची (2) में विनिर्दिष्ट किये गये विशेष न्यायालयों का गठन करती है तथा अनुसूची के कालम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट न्यायाधीशों को उक्त विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है :—

क्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	न्यायालय का क्षेत्राधिकार (3)	पीठासीन अधिकारी (4)
1.	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
2.	राजनांदगांव	राजनांदगांव, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
3.	बिलासपुर	बिलासपुर, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
4.	अंबिकापुर (सरगुजा)	अंबिकापुर, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
5.	जगदलपुर (बस्तर)	जगदलपुर, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
6.	कबीरधाम	कबीरधाम, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
7.	धमतरी	धमतरी, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
8.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) राजस्व जिला.	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
9.	कोरबा	कोरबा, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
10.	कांकेर	कांकेर, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
11.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा, राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
12.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर), राजस्व जिला	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

Raipur, the 7th June 2006

F. No. 9120/967/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, and in supersession of this department's notification No. 895/D-233/XXI-B/06, dated 31-01-2006 hereby constitutes the Special Courts specified in column (2) of the schedule below in relation to the areas in the corresponding entries in column (3) thereof and appoints the Judges specified in Column (4) of the said schedule as Presiding Officer of the Special Courts for the purposes of aforesaid Act, namely :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Jurisdiction of the Courts (3)	Presiding Officer (4)
1.	Raipur	Raipur, Mahasamund, Revenue Districts.	Ist Additional District & Sessions Judge.
2.	Rajnandgaon	Rajnandgaon, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
3.	Bilaspur	Bilaspur, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
4.	Ambikapur (Sarguja)	Ambikapur, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
5.	Jagdalpur (Bastar)	Jagdalpur, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
6.	Kabeerdham Kawardha	Kabeerdham, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
7.	Dhamtari	Dhamtari, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
8.	Dakshin Bastar (Dantewada)	Dakshin Bastar (Dantewada), Revenue District.	Ist Additional District & Sessions Judge.
9.	Korba	Korba, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
10.	Kanker	Kanker, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
11.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa, Revenue District	Ist Additional District & Sessions Judge.
12.	Koria (Baikunthpur)	Koria (Baikunthpur), Revenue District.	Ist Additional District & Sessions Judge.

Raipur, the 8th June 2006

No. 9124/XXI-B/06.—State of Chhattisgarh hereby constitute a State Level High-Powered Committee to Monitor the timely implementation of the decisions taken in the Conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Courts held on 11th March 2006, as follows :—

1.	Chief Minister	-	Chairman
2.	Finance Minister	-	Member
3.	Registrar General of the High Court of Chhattisgarh	-	Member
4.	Principal Secretary, Law/Legal Remembrancer	-	Convener

Raipur, the 8th June 2006

No. 9153/XXI-B/06.—State of Chhattisgarh hereby constitute a State Level High-Powered Committee to Monitor the timely implementation of the decisions taken in the Conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Courts held on 11th March 2006, as follows :—

1. Chief Minister
2. Chief Justice
3. Minister of Law & Legislative Affairs Department

Raipur, the 8th June 2006

No. 9155/XXI-B/06.—State of Chhattisgarh hereby constitute a State Level High-Powered Committee to Monitor the timely implementation of the decisions taken in the Conference of Chief Ministers and Chief Justices of High Courts held on 11th March 2006, as follows :—

1. Chief Secretary
2. Registrar General
3. Principal Secretary, Law

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. P. SHARMA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2006

फा. क्र. 9186/1404/21-ब/छ. ग./2006.—नोटरी अधिनियम 1952 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुए जिला-जांजगीर-चांपा के बाराद्वार-उप तहसील में नोटरी का एक पद सृजित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

क्रमांक एफ-9-92/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं राजस्व निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 फरवरी, 2006 को प्रश्न-पत्र "लेखा-प्रथम (बिना पुस्तकों के) लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुखनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
2.	कु. लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में उच्चस्तर
3.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
4.	श्रीमती चन्दन संजय त्रिपाठी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
5.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार बड़ौनिया	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
7.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	कु. प्रियंका थवाईत	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
9.	श्रीमती जयश्री पटेल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
10.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
11.	श्री महेश सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
12.	कु. पद्मिनी मोई	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय मे सश्रेय
13.	श्री सुधांशु सक्सेना	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
14.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
15.	कु. रोक्तिमा राय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
16.	कु. सन्तन देवी जांगड़े	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में उच्चस्तर
17.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
18.	श्री प्रकाश कुमार टंडन	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
19.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
20.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
21.	श्री विकास माहेश्वरी	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में उच्चस्तर
22.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तहसीलदार	प्रथम में सश्रेय द्वितीय में उच्चस्तर

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	श्रीमती फरिहा आलम सिद्दीकी	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
24.	कु. गीता शुक्ला	नायब तहसीलदार	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय
25.	श्री आर. एन. आर. सनमानी	अधीक्षक	प्रथम एवं द्वितीय में सश्रेय

रायपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक एफ-9-06/दो/गृह/06:—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 एवं 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र-भाग-बी, सी, द्वितीय प्रश्नपत्र, तृतीय प्रश्नपत्र'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आर. एन. आर. सनमानी	अधीक्षक	प्रथम, द्वितीय में निम्नस्तर तृतीय में उच्चस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
1.	कु. गीता शुक्ला	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर			
2.	कु. लीना ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर
3.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र ग्वालियर			
4.	आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	तृतीय	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर			
5.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय	उच्चस्तर
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार बड़ौनिया	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर
7.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	कु. प्रियंका थवाईत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर
9.	श्री महेश सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	द्वितीय	निम्नस्तर
10.	श्री सुधांशु सक्सेना	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर
11.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय	उच्चस्तर
12.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	द्वितीय तृतीय	उच्चस्तर निम्नस्तर
13.	श्री प्रकाश कुमार टंडन	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर
14.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	द्वितीय	निम्नस्तर
15.	श्री जागेश्वर कुमार कौशल	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर
16.	श्री विकास माहेश्वरी	नायब तहसीलदार	द्वितीय	निम्नस्तर
17.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय एवं तृतीय	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक एफ-9-14/दो/गृह/06.—पुलिस अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रतन लाल	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (आई. पी. एस.)
2.	श्री सुन्दर राज पी.	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (आई पी. एस.)
3.	श्री डी. रविशंकर	उप पुलिस अधीक्षक

रायपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक एफ-9-37/दो/गृह/06.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री संकल्प साहू	सहायक संचालक
2.	श्री के. के. तिवारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
3.	श्री प्रकाश कुमार मेश्राम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
4.	श्री दीपक शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
5.	श्री हेमन्त कुमार ठाकुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक/1448/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) एवं (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित तथा वर्णित जिला दंतेवाड़ा के नगर सुकमा के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	ग्राम का नाम	प्रमाणित दर			
		प्रति 100 वर्गफुट		प्रति 10 वर्गमीटर	
		आवासीय	व्यवसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यवसायिक औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुकमा	360	540	540	720

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 मई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	बिलारी	0.121	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु नि. संभाग, रायपुर.	सेतु नि. कार्य हेतु

रायपुर, दिनांक 23 मई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	बानीखार	0.511	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु नि. संभाग, रायपुर.	सेतु नि. कार्य हेतु

रायपुर, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 1 अ/82 /05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपका प.ह.नं. 12	0.223	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	भरतपुर जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 2 अ/82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	केसला प.ह.नं. 18	0.511	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	केसला एनीकट के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक 805/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	देऊरकोना	0.85	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	शिवकोकड़ी डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक 808/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	धमधा	0.65	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	बेदुवन जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक 811/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	करंजा भिलाई	0.68	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	करंजा भिलाई जलाशय नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक 814/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	भाठाकोकड़ी	0.80	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	शिवकोकड़ी डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक 817/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बासीन	1.68	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	करंजा भिलाई जलाशय नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 27 मई 2006

क्रमांक 4731 क/भू-अर्जन/32 अ/82/वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-डोमपदर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	71	0.28
योग	1	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सीतानदी सेतु के पहुंचमार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शांतनु, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 मई 2006

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र./10/अ/82/वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-कुन्दरू, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.155 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
271/1	0.616
272/1	0.478
271/1	0.061
योग	1.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- भाटापारा शाखा नहर निर्माण एवं रख-रखाव हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक 216/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचंदा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.413 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442/5	0.036
438	0.028
404/1	0.016
402/1	0.004
371/1	0.004
60/3	0.325
योग	0.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माइनर 5 एल

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 मई 2005

क्रमांक 150/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकराभांठ, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
617, 618	0.016
619/1	0.012
621/2	0.032
605	0.061
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नं. 2 (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 मई 2006

क्रमांक 151/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
231/1	0.020
242/5, 245	0.040
248/1 ख	0.033
योग	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नं. 3 (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 मई 2006

क्रमांक 152/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.730 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/1	0.020
76, 90	0.020
91/1, 92/2	0.020
382/3	0.036
415/7	0.101
411/8	0.101
412/3	0.061
364/4	0.024
80/3	0.036
106/2, 367/1	0.073
416/2	0.012
415/8	0.036
386	0.020
411/1	0.040
382/1, 370	0.081
412/2	0.049
योग	0.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नं. 2 नहर (पूरक).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2006

क्रमांक/नि. स./प्र. स./2006/50.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ई-1-02/2006/एक/2 दिनांक 7-6-2006 के परिपालन में मैंने दिनांक 9-6-2006 को अपरान्ह में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि., रायपुर का पदभार ग्रहण कर लिया है.

अतः कृपया भविष्य में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय पत्र निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने तथा आवश्यकतानुसार दूरभाष पर संपर्क स्थापित करने का कष्ट करेंगे :—

पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता	-	विकास शील, (आई. ए. एस.) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय-रायपुर.
दूरभाष क्रमांक (कार्यालय)	-	0771-4066211
फैक्स क्रमांक	-	0771-2236480
दूरभाष क्रमांक (निवास)	-	0771-2882661

विकास शील
प्रबंध संचालक.